अनुदान संख्या 64 – विधि और न्याय
GRANT No. 64 - LAW AND JUSTICE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	1745,82,00		3281,08,00	3044,36,95	-236,71,05
पूरक	Supplementary	1535,26,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					129,00,00
राजस्वः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	1100,00,00		1122,00,00	1119,61,61	-2,38,39
पूरक	Supplementary	22,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹23671.05 लाख) जुलाई, 2021, दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹153526.00 लाख के पूरक अनुदानों का 15 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹23671.05 lakhs) constituted 15 percent of the supplementary grants of ₹153526.00 lakhs obtained in July, 2021, December, 2021 and March, 2022 and 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय–सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services				
मू.	O.	14740.00			
पू.	S.	1.00	14860.95	12933.26	-1927.69
पु.	R.	119.95			
मुख्य शीर्ष "2014" न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice				
मू.	O.	30332.00			
पू.	S.	7725.00	37957.00	37129.59	-827.41
पु.	R.	-100.00			
मुख्य शीर्ष "2015" चुनाव	Major Head "2015" Elections				
मू.	O.	16930.00			
पू.	S.	145800.00	160711.00	160460.44	-250.56
पु.	R.	-2019.00			
मुख्य शीर्ष "2020" आय और व्यय पर करों का संग्रहण	Major Head "2020" Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	11930.00			
			11929.05	10207.68	-1721.37
पु.	R.	-0.95			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	9228.00			
			..	..	..
पु.	R.	-9228.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारो को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	83972.00	82300.00	77669.72	-4630.28
पु.	R.	-1672.00			
मुख्य शीर्ष "3602" विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता–अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature		6000.00	5000.00	-1000.00

(I) ₹9966.00 लाख का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹9228.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष ''2552'' – ''न्याय प्रशासन'' के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) ''न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु अनुदान'' – ₹8228.00 लाख; और

(खा) ''ई–न्यायालय परियोजना चरण–II'' – ₹1000.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2014'' – ''विधि सलाहकार और वकील – विधि कार्य विभाग'' – (₹5600.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹5800.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, कोविड–19 महामारी के कारण लोकडाउन की वजह से उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में केन्द्रीय सरकारी अधिवक्ताओं/एडवोकेट से शुल्क के कम दावे प्राप्त होने के कारण ₹418.23 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(I) Provision of ₹9966.00 lakhs remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹9228.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" – "Administration of Justice" - under the following heads: -

(A) "Grant for infrastructural facilities for Judiciary" - ₹8228.00 lakhs; and

(B) "E-Court Project Phase - II" – ₹1000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2014" – "Legal Advisers and Counsels – Department of Legal Affairs" – the original provision of ₹5600.00 lakhs was augmented to ₹5800.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹200.00 lakhs. However, there was a saving of ₹418.23 lakhs (including supplementary grant) – due to receipt of less fees claims from Central Government Counsels/ Advocates in Supreme Court and various High Courts on account of lockdown owing to COVID-19 pandemic.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:—

(का) मुख्य शीर्ष ''2014'' — ''अन्य व्यय — राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी'' — ₹1100.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2325.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3425.00 लाख कर दिया गया तथापि, जो कोविड—19 महामारी के कारण मरम्मत और रखरखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण ₹1050.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2015'' — ''अन्य व्यय — इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों पर व्यय'' — ₹500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹5800.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹6300.00 लाख कर दिया गया तथापि, जो वार्ता—पूर्व बैठक (पीएनसी बैठक) को अगले वित्त वर्ष में निर्धारित किए जाने और मूल्य को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹2079.46 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2052'' — ''सचिवालय — विधि कार्य विभाग'' — ₹712.24 लाख की बचत (₹6200.000 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड—19 महामारी के कारण अन्य प्रशासनिक खर्चों, अन्य प्रभारों, किए गए दौरों के लिए कम दावों की प्राप्ति तथा मरम्मत और रख—रखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2020'' — ''निदेशन और प्रशासन — आयकर अपील प्राधिकरण'' के अंतर्गत ₹1272.32 लाख की बचत (₹11480.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड—19 महामारी के कारण रिक्त पद न भरे जाने, अन्य प्रशासनिक खर्चों, अन्य प्रभारों, कम दौरे किए जाने के लिए कम दावों की प्राप्ति तथा मरम्मत और रख—रखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilized to the extent as shown against each: -

(A) Major Head “2014” – “Other Expenditure - National Judicial Academy” – the original provision of ₹1100.00 lakhs was augmented to ₹3425.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2325.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹1050.00 lakhs – due to requirement of less funds towards repairs and maintenance owing to COVID-19 pandemic.

(B) Major Head “2015” – “Other Expenditure - Expenditure on Electronic Voting Machines” - the original provision of ₹500.00 lakhs was augmented to ₹6300.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹5800.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2079.46 lakhs – due to scheduling of Pre-Negotiation Meeting (PNC meeting) to next financial year and non-finalisation of price.

(IV) Under Major Head “2052” – “Secretariat - Department of Legal Affairs” - saving of ₹712.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6200.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards other administrative expenses, other charges, less tours undertaken and requirement of less funds towards repairs and maintenance owing to COVID-19 pandemic.

(V) Under Major Head “2020”- “Direction and Administration - Income Tax Appellate Tribunal” – saving of ₹1272.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11480.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards other administrative expenses, other charges, less tours undertaken and requirement of less funds towards repairs and maintenance owing to COVID-19 pandemic.

(VI) मुख्य शीर्ष ''3601'' – ''केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन (निर्भया कोष)'' – ₹6544.28 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण राज्य सरकारों से कम मांग प्राप्त होने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - National Mission for Safety of women (Nirbhaya Fund)" – saving of ₹6544.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to reduction at provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to less demand from State Governments and requirement of less funds towards National Mission for Safety of Women by State/UT Governments owing to COVID-19 pandemic.

(VII) मुख्य शीर्ष ''3602'' – ''केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं'' – ₹1000.00 लाख की बचत (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कम दावे प्राप्त किए जाने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Infrastructural facilities for Judiciary" - saving of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was due to receipt of less claims owing to COVID-19 pandemic.

(VIII) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹984.47 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 41 प्रतिशत थीं।

(VIII) Under three heads savings of ₹984.47 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 13 percent to 41 percent of total sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''2014'' – ''ई–न्यायालय – ई–न्यायालय चरण–II'' के तहत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹948.39 लाख का अधिक व्यय (₹8882.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुई।

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2014" - "E-Courts – E-Courts Phase-II" – excess of ₹948.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8882.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.